

7/6  
24

पत्रावली जेश डुई वकील प्रार्थीगण उपाध्यत  
विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए  
जिते शापक किये गये। विपक्षीगण को कितनीबा  
मर्तिका क्रक-क्रक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद  
भी उपस्थित नहीं। उनके विकट एक तरफा कार्यवाही  
किये जाने का भ्रष्टेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण  
का प्र-पग स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपक से  
लिखा जाकर शापक किया गया। पत्रावली फल  
सुमार लेकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मंडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़

संज्ञक अधिकांश - पत्थर आदि

संख्या - 187/24 प्रा.पत्र

श्री केशवसिंह व/श्री गोमसिंह रावत निवासी- भीम रोडा तहसील (अ)

पृष्ठ

समाप्त

श्री लालू व/श्री लालुसिंह रावत निवासी- भीम रोडा तहसील- माण्डल जिला  
(पुनर्निर्दिष्ट प्रथम संख्या)

-राजकीय

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मुरा.अधि. 1958

दिनांक - 7-6-24

आदेशः

की ओर से एक प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मुरा.अधि. 1958 के तहत प्रस्तुत कर विवेक विभाजक  
केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संपुस्त खाते की  
श्री मधु, 917, 918, 919, 921, 922  
की संख्या 06 रकबा 1.0117 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि  
पत्थरगढी के मध्य आराणी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न आया  
है। तिसरने प्राथी अपने खाते/संपुस्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

इ प्राथमिक पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-05-24 को पञ्जीबद किया जाकर प्रकरण को  
लोकसार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कबो काशत काशत की होने से पत्थरगढी कायम  
हारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
कि की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेशः

का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मुरा.अधि. 1958 का स्वीकार किया जाकर नाम केरिया  
केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संपुस्त खाते की आराणी न. 917, 918, 919, 921, 922  
की संख्या 06 रकबा 1.0117 हेक्टर भूमि की वारी तरफ सीमा की मुक्ता मानकारी किये  
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु मु-आभिलेख निरोधक अलसाम  
600 रुपये - कमिश्नर पोस्ट पर कमिश्नर पोस्ट जमा होने पर पक्षकसन् की मौजूदगी में भौक इ कब  
स्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुक्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। वरतल खड़ी होने से  
गढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़

लेनि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्राचार को  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़